मेरठ विकास प्राधिकरण

की

88वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 14—9—2009

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 88वीं बैठक दिनांक 14—9—2009 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 88वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 14—9—2009 को सांय 4.00 बजें से प्रारम्भ होकर 7.00 बजें तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

1.	श्री राम नवल सिह	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री अमित कुमार घोष	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री संजय कृष्ण	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5.	श्री एन0के0 जौहरी	प्रतिनिधि—आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
6.	श्री एच0एन0 शुक्ला	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
7.	श्री रवि रस्तौगी	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ	सदस्य
8.	श्री अरूण कुमार वार्ष्णेय	उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
9.	श्री राजीव कुमार गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य
10.	श्री अनुराग पटेल	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11—2—2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि—

प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक दिनांक 11—2—2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव, 76वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या—

मद संख्या— 3

डिफैन्स एन्कलेव एवं श्रद्धापुरी योजना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, एवं मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, मेरठ संयुक्त रूप से उक्त दोनों कालोनियों का स्थलीय निरीक्षण आदि करके हस्तान्तरण की कार्यवाही करायेगें। कृत कार्यवाही की आख्या 15 दिन में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रेषित की जायेगी।

प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या—

मद संख्या —2

समिति द्वारा 4 बारातघरों—मिलन वैंकट हाल, पायल विवाह मण्डप, गोकुल गार्डन व जैनिस पेलैस में किये गये निर्माण अशमनीय होने के कारण उन्हें ध्वस्त करने, 16 बारातघरों—वीनस गार्डन, अलकनन्दा फार्म, हरिमण्डप, जे0पी0रिसोर्टस्, मुस्कान पेलैस, राधा गोविन्द मण्डप, अक्षय पेलैस, राजा रानी मण्डप, अरोमा गार्डन, पारस वैंकट, लग्न मण्डप, विनायक गार्डन, अंजुम पेलैस, मंगल भवन, अशोका भवन व सिद्धार्थ फार्म में किये निर्माण मानक के अनुरूप न होने के कारण उन्हें सील करने, 2 बारातघरों—मुकुट महल, व सुभद्रा का मानचित्र तकनीकी रूप से ठीक कराने एवं सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने तथा 2 बारातघरों—राजमन्दिर व बन्धन पेलैस के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र से स्थल का मिलान किये जाने तथा टू बी डेमोलिश दिखाये गये निर्माण को तोड़ने हेतु कारण बताओं नोटिस दिये जाने की संस्तुति की गयी।

उपर्युक्तानुसार ध्वस्त किये जाने वाले बारातघरों, सील किये जाने वाले बारातघरों, जिन बारातघरों के सम्बन्ध में मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं उनका तकनीकी परीक्षण कराने व मानचित्र ठीक कराने तथा शमन योग्य बारातघरों को शमन कराने हेतु प्रत्येक बारातघरवार परीक्षण कर

उपर्युक्तानुसार उनके ध्वस्तीकरण, सील एवं शमन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये।

प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –8

मेरठ बाईपास पर महायोजना में प्रस्तावित 100 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट में चिन्हित किये गये 78 अवैध निर्माणों के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त 78 निर्माणों के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही 30 दिन में पूर्ण कर सम्बन्धित नोडल अधिकारी(प्रवर्तन) द्वारा आगामी बोर्ड बैठक में अलग मद पर विस्तृत आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 2

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) मेरठ संयुक्त रूप से प्रतिकर भुगतान आदि से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों के मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे जिससे प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली भूमि के अर्जन विषयक प्रस्ताव पर बकाया न होने का प्रमाण जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा दिया जा सके। उक्त कार्यवाही 15 दिनों में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं आख्या जिलाधिकारी, मेरठ को प्रस्तुत की जाये।

प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –1

बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।

प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –1

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि मेरठ महायोजना 2021 के मास्टर प्लान को शहर के मुख्य–मुख्य स्थानों यथा– कलेक्ट्रेट, आयुक्त कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय आदि जगहों पर बोर्ड लगाकर प्रदर्शित कराया जाये।

प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –4

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की योजनावार धारा 28ए भूमि अध्याप्ति अधिनियम के समस्त वादों का निस्तारण अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ एक माह के अन्दर करेंगे तथा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ के न्यायालय में विचाराधीन धारा 28ए के वादों की योजनावार सूची एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति), मेरठ को उपलब्ध करायेंगे। इसका रिव्यू जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा 20 दिन में कर लिया जाये।

प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–4

बोर्ड द्वारा 88 वीं बोर्ड बैठक के मद सं0–6 पर प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया

मद सं0–6

बोर्ड द्वारा अनुपालन का संज्ञान लिया गया।

मद सं0–11

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि एक समिति गठित कर इसका परीक्षण करा लिया जाये एवं समिति अपनी आख्या आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रस्तुत करेगी।

मद सं0–14

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण के सचिव, वित्त नियन्त्रक व मुख्य अभियन्ता की एक समिति गठित कर प्रकरण का विधिवत् परीक्षण किया जाय एवं तदुपरान्त समिति अपनी विस्तृत आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी।

मद सं0–18

बोर्ड द्वारा अनुपालन का संज्ञान लिया गया।

मद सं0—19

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया।

मद सं0—20

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षण एवं प्रस्तुतिकरण करने हेतु उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण अपने अधीनस्थ अधिकारियों की एक टीम गठित करें। उक्त टीम प्रकरण का पुनः परीक्षण कर एक औचित्यपूर्ण स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत करें।

मद सं0—21

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्राधिकरण की 88वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव—

मद संख्या— 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दी नगर योजना के अविकसित सेक्टरों में आवंटित भूखण्डो को विकसित एवं विकसित किए जा रहे सेक्टर में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या— 2

लोहिया नगर योजना में आवंटित विकसित एवं अविकसित क्षेत्र में स्थित भूखण्डों को विकसित क्षेत्र में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या– 3

मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 7 के अविकसित भूखण्ड संख्या बी–22 का लाटरी पद्धति द्वारा सेक्टर 4सी के पॉकेट डी में परिवर्तित/समायोजित किये गये भूखण्ड सं0 डी–66 के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या– 4

ग्राम मलियाना के खसरा संख्या–231 मि0 क्षेत्रफल 2860 वर्ग मीटर का भू–उपयोग व्यवसायिक से आवासीय किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या– 5

लोहिया नगर योजना के पाकेट "एफ" में कैंची उद्योग एवं बुनकर उद्योग हेतु भूखण्ड आवंटन की शर्तो में शिथिलता किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि कैंची उद्योग के उद्यमियों की तरह प्रस्ताव के प्रस्तर 2 में उल्लिखित सुविधायें, बुनकर उद्योग के उद्यमियों को भी दिया जाये।

कैंची/बुनकर उद्योग के उद्यमियों को उन्हें आवंटित भूखण्डों पर भौतिक कब्जा दिये जाने के समय ब्याज माफी के प्रकरण का पुनः परीक्षण कर, आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि कैंची/बुनकर उद्यमियों को आवंटित भूखण्डों का क्षेत्रफल यथासम्भव उनकी माँग के अनुसार बढ़ा दिया जाये।

मद संख्या – 6

महायोजना के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स फलाईंग क्लब/हैलीपेड के सम्बन्ध में किये गये प्राविधान को निरस्त करने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

मद संख्या– 7

गंगानगर तथा रक्षापुरम योजना के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

मद संख्या – 8

व्यवसायिक भू–उपयोग में भगवती इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलाजी के शमन मानचित्र की स्वीकृति हेतु विशेष अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि एक समिति गठित कर इसका परीक्षण करा लिया जाये एवं समिति अपनी आख्या आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या– 9

पल्लवपुरम योजना में एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु लेआउट के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

मद सं0 10

गंगानगर योजना में एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु लेआउट के भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

मद संख्या– 11

जोन–एच के अन्तर्गत 24 मी0 चौडी महायोजना मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के सम्बन्ध में।

41

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का भली भांति परीक्षण कर विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या– 12

प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना में दिनांक 20–1–2005 की निविदा–सह–नीलामी द्वारा मैं0 अन्सल लैण्ड टाउनशिप्स प्रा0लि0 के पक्ष में आवंटित आवासीय बल्क भूमि के सापेक्ष देय धनराशि की रिशैड्यूलिंग (किश्तों का पुर्ननिर्धारण) करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

परिचालन प्रस्ताव

इन्टीग्रेटेड अर्बन रिजुविनेशन प्लान के अन्तर्गत कन्सलटैन्ट, चयन, विभिन्न परियोजनाओं हेतु अध्ययन, नियोजन, कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं निविदा आमंत्रण आदि हेतु आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

परिचालन प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 1

गंगानगर आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग भूखण्ड संख्या एम–126 मौके पर उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड सं0 एम–139 में परिवर्तन/समायोजन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपूरक प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

अनुपूरक मद संख्या– 2

कृषि भू–उपयोग में डी0एस0 मैमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित बी0एड0 कालिज की अनुमति के संबंध में।

बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि एक समिति गठित कर इसका परीक्षण करा लिया जाये एवं समिति अपनी आख्या आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को प्रस्तुत करेगी।

अनुपूरक मद संख्या– 3

ग्रीन–वर्ज भू–उपयोग में मेजर विनीत त्यागी आदि द्वारा प्रस्तावित रेटोरेन्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अनुपूरक प्रस्ताव अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राम नवल सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(श्रवण कुमार शर्मा)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।